

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 243-2011-आनीविइ-चार.—मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 7 में, उपनियम (1) में, खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(छ) प्ररूप एफ. 10 में अधिरोपित की गई किन्तु वसूल न की गई राजस्व मांग पर राज्य सरकार द्वारा किए गए दावों तथा वचनबंध पर एक विवरण,”

AMENDMENT

(2) प्ररूप एफ-10 में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“राजस्व जो अधिरोपित किया गया किन्तु वसूल नहीं किया गया”

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

No. 243-2011-EPAU-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of Section 12 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhinyam, 2005 (No. 18 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Sanshodhan Niyam, 2006, namely :—

In the said rules,—

(1) In rule 7, in sub-rule (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) a statement on claims and commitments made by the State Government on revenue demands raised but not realized in Form-F-10,".

(2) In Form-F-10, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"REVENUES RAISED BUT NOT REALISED".

This amendment will come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिंद वाईकर, उपसचिव.